न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 19/132

1. कल्याण
2. लालचन्द
3. मोहन पिसरान स्वर्गीय श्री छोटू जातियान रेगर निवासीयान गेण्डोली तहसील के0 पाटन जिला बून्दी ।
4. नर्मदा पुत्री श्री छोटू पत्नी श्री डालू जाति रेगर निवासी ग्राम तलवास तहसील नैनवा जिला बून्दी ।
5. रामस्वरूप आत्मज चतरू पुत्री छोटू पत्नी धूली लाल जाति रेगर निवीस सूंसा तहसील नैनवा जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. प्रेमशंकर आत्मज श्री मोहन लाल जाति मेघवाल निवासी अमरपुरा तहसील के0 पाटन जिला बून्दी।
2. कजोडी बाई पत्नी श्री रामनाथ जाति बैरवा निवासी अजेता तहसील व जिला बून्दी ।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार साहब के0 पाटन जिला बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री सुरेन्द्र नाराणीवाल, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से
2. श्री विनय सक्सेना, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांकः 18.09.2019

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, के0 पाटन जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2018 के विरूद्ध पेश की गई है ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं प्रार्थीगण अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत एक वाद खातेदारी घोषणा, बंटवारा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश कर उक्त वाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम नयागॉव उर्फ बोहरा कजोड जी की झौपडियॉ (गेण्डोली कला) तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में खसरा नम्बर 1360 रकबा 2.50

हैक्टर, खसरा नम्बर 1361 रकबा 2.81 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 5.31 हैक्टर भूमि स्थित है । उक्त भूमि के सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 756 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा थे और उससे पूर्व खसरा नम्बर 507/2 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा थे । उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार गंगाराम, छोटूलाल पिसरान मोडू जाति रेगर है । गंगाराम का 1/2 हिस्सा, छोटूलाल का 1/2 हिस्सा है । उक्त भूमि में प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा एवं रामदेवा का 1/2 हिस्सा है वर्तमान में रामदेवा के हिस्से पर अप्रार्थी क्रम 1, 2 सहखातेदार हैं इस प्रकार 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त है तथा कानूनन खातेदार काश्तकार हैं । वर्तमान जमाबन्दी में खातेदार के स्थान पर अप्रार्थी क्रम 1 व 2 का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित है जो गलत एवं अवैध है क्योंकि इनका नाम 1/2 हिस्से तक वैध है और 1/2 हिस्से के खातेदार प्रार्थीगण है और अपना नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने के अधिकारी हैं । प्रथमदृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के हक में है एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है क्योंकि प्रार्थीगण 1/2 हिस्से के सहखातेदार हैं एवं काबिज काश्त है ।

3. अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वे प्रार्थीगण के 1/2 हिस्से की आराजी में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे एवं प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की कोशिश नहीं करें और उक्त भूमि को रहन, बेचान एवं खुर्द–बुर्द नहीं करें ।

4. अप्रार्थी क्रम 1 ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 03.07.2018 के द्वारा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

6. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पक्षकारान के पूर्वजों के मध्य चले वाद संख्या 202/81 निर्णय दिनांक 28.06.88 न्यायालय सहायक कलक्टर के0 पाटन द्वारा इसी भूमि के सम्बन्ध में किये गये निर्णय का अवलम्ब लिया है जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में की थी जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.93 के द्वारा उक्त निर्णय को निरस्त कर दिया और प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया । उक्त भूमि में 1/2 हिस्स पर प्रार्थीगण अपीलान्ट का आज भी कब्जा चला आ रहा है । रामदेवा द्वारा भूमि अप्रार्थीगण को सन् 2015 में विक्रय की गई और नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 16.02.2015 को तस्दीक हुआ । सन् 2015 के पूर्व अप्रार्थीगण का कब्जा होने का प्रश्न नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से निर्णय पारित किया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2018 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपीलान्ट ने अपील के साथ एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का पेश कर कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी क्योंकि उनके अभिभाषक द्वारा उन्हें कोई जानकारी नहीं दी । दिनांक 28.03.2019 को प्रार्थीगण भूमि के स्थगन आदेश बाबत् अपने वकील साहब के पास गये तो उन्हें उक्त निर्णय के बारे में बताया जिस पर उक्त अपीलाधीन निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

8. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

9. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और कथन किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1360 रकबा 2.50 हैक्टर, खसरा नम्बर 1361 रकबा 2.81 हैक्टर कुल किता 02 कुल रकबा 5.31 हैक्टर ग्राम नयागॉव तहसील के0 पाटन जिला बून्दी में स्थित है । उक्त भूमि के सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 756 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा थे और उससे पूर्व खसरा नम्बर 507/2 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा थे । उक्त भूमि में अपीलान्ट प्रार्थीगण का 1/2 हिस्सा निहित है इसके लिए हक घोषणा का दावा एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया था । जमाबन्दी में अप्रार्थीगण का नाम दर्ज हो जाने से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा हैं । अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटिपूर्ण रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है । पूर्व में एक दावा संख्या 202/81 न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन में पेश किया था जो दिनांक 28.06.1988 को निर्णित किया गया । इस निर्णय के खिलाफ अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में पेश की गई जिसमें न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने अपने निर्णय दिनांक 12.10.1993 से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को निरस्त करते हुए प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय को पुनः निर्णय पारित करने हेतु रिमाण्ड कर दिया । इस प्रकार न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन का निर्णय निरस्त हो चुका है । पूर्ववर्ती वाद के रिमाण्ड होने के पश्चात् भी कब्जा बदस्तूर प्रार्थीगण का चला आ रहा है । यह वाद दिनांक 02.12.1996 को अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज कर दिया गया । इस प्रकार उक्त वाद में पक्षकारों के अधिकारों का न्यायालय द्वारा कोई निर्धारण नहीं किया गया । रामदेव के द्वारा भूमि अप्रार्थीगण को सन् 2015 में विक्रय की गई और अप्रार्थीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 16.02.2015 को तस्दीक हुआ । सन् 2015 के पूर्व अप्रार्थीगण का कब्जा होने का प्रश्न ही नहीं है । वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण के पूर्वज श्री छोटूलाल व गंगाराम के संयुक्त खाते व कब्जे में थी तथा अकेले गंगाराम के पक्ष में सन् 1956 में बेचान के पश्चात् भी भूमि दोनों भाईयों के संयुक्त खाते में अंकित की गई । इससे स्पष्ट है कि भूमि दोनों भाईयों द्वारा ही क्रय की गई थी । यद्यपि बेचान गंगाराम के नाम सद्भावना में अंकित करवा दिया गया । जहॉ तक विलम्ब का प्रश्न है यदि गुणावगुण के आधार पर प्रकरण में महत्वपूर्ण बिन्दु निहित हैं तो मियाद के आधार पर प्रकरण खारिज नहीं किया जा सकता । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2018 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में एआईआर 1993 (एससी) पेज 1756, आरआश्रउी 1998 पेज 318, डीएनजे 2019 (एससी) पेज 131 उद्धरत की ।

10. रेस्पोडेन्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजी के बाबत् पूर्व में एक दावा प्रार्थीगण ने पेश किया था जो सहायक कलक्टर, के0 पाटन के द्वारा खारिज किया जा चुका है । इसी आराजी के बाबत् नया दावा पेश नहीं किया जा सकता । गंगाराम की मृत्यु के बाद आराजी रामदेवा के खाते में दर्ज की गई और रामदेवा से आराजी को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अप्रार्थीगण ने क्रय की है । इस पर अप्रार्थीगण का कब्जा है । पूर्व का निर्णय रेसजूडीकेटा का असर रखता है । अपीलान्ट किसी सहायता के अधिकारी नहीं हैं। व्यवहार प्रक्रिया संहिता के आदेश 09 नियम 09 के अनुसार अपीलान्ट नया दावा पेश नहीं कर सकते हैं । वादग्रस्त आराजी पर कब्जा अपीलान्ट का नहीं है और बिना कब्जे के हक घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा की सहायता प्रदान नहीं की जा सकती । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2018 बहाल रखा जावे । उन्होंने अपने पक्ष के समर्थन में डीएनजे 2019 (एससी) पेज 427 उद्धरत की ।

11. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया । हमने सर्वप्रथम अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताऐ हैं वे उचित प्रतीत होत हैं । अतः न्यायहित में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जाता है ।

12. अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक 28.06.1988 न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन जिला बून्दी की फोटो प्रति संलग्न है जिसके अनुसार खसरा नम्बर 756 के बाबत् अपीलान्टगण का दावा खारिज किया गया है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1360 रकबा 2.50 हैक्टर भूमि रामदेवा पिस0 गंगाराम कौम रेगर के खाते में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 348 दिनांक 16.02.2015 से जरिये विक्रय पत्र केता प्रेमशंकर पिता मोहनलाल को खातेदार दर्ज किया गया का नोट अंकित है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2021–24 संलग्न है जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 507/2 गंगाराम पिसरान मोडू के संयुक्त खाते में दर्ज है । फोटो प्रति नकल मिलान क्षेत्रफल संलग्न है जिसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 507/2 के हाल खसरा नम्बर 756 रकबा 32 बीघा 17 बिस्वा कायम हुए हैं । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवतफ 2063–66 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 1360 रकबा 2.50 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 1361 रकबा 2.81 हैक्टर कुल 02 किता की रकबा 5.31 हैक्टर भूमि रामदेवा पि0 गंगाराम के खाते में दर्ज है जिस पर नामान्तरकरण संख्या 77 का नोट अंकित है । फोटो प्रति नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 संलग्न है जिसके अनुसार हाल खसरा नम्बर 1361 कजोडी बाई पत्नी रामनाथ के खाते में दर्ज है । इसके अलावा पत्रावली पर नकल जमाबन्दी संवत् 2071–74 भी संलग्न है ।

13. वादी का यह कथन है कि वादग्रस्त आराजी जिसके हाल खसरा नम्बर 1360 और 1361 कायम किये गये हैं, उसमें उनका 1/2 हिस्सा निहित है । अतः उनके पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे । पत्रावली पर जो निर्णय सहायक कलक्टर, के0 पाटन दिनांक 28.06.1988 संलग्न है उसके अनुसार साबिक खसरा नम्बर 756 के लिए वादी का दावा खारिज किया गया

है और साबिक खसरा नम्बर 399 के आधे हिस्से के लिए प्रारम्भिक डिक्री पारित की गई है । मिलान क्षेत्रफल की फोटो प्रति के अनुसार साबिक खसरा नम्बर 756 के हाल खसरा नम्बर 1360 और 1361 बने हैं । वादीगण का हक घोषणा का दावा सन् 1988 में खारिज किया गया था और न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के द्वारा पारित निर्णय की संलग्न फोटो प्रति दिनांक 12.10.1993 के अनुसार प्रकरण रिमाण्ड किया गया है । इस रिमाण्ड आदेश के उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में दावा अदम पैरवी एवं अदम हाजरी में खारिज होने के परीक्षण न्यायालय के निर्णय की कोई प्रति पेश नहीं की गई है । यद्यपि वर्तमान दावा रेसजूडीकेटा एवं आदेश 09 नियम 09 सीपीसी से बाधित है अथवा नहीं यह मूल वाद में साक्ष्य से तय होगा, इस स्टेज पर नहीं । परन्तु इस स्टेज पर न्यायालय सहायक कलक्टर, के0 पाटन के निर्णय दिनांक 28.06.1988 के अनुसार वादग्रस्त आराजी साबिक खसरा नम्बर 756 के बाबत् वादीगण का दावा यह कथन करते हुए खारिज किया गया है कि इस आराजी को गंगाराम ने ही क्रय किया है ।

14. अपीलान्ट के द्वारा यह कथन किया गया है कि सन् 1956 में अकेले गंगाराम के पक्ष में बेचान के बावजूद आराजी संयुक्त खाते में अंकित की गई थी । इसका आशय यही है कि दोनों भाईयों ने क्रय की थी और सद्भावना से दोनों भाईयों का नाम दर्ज करवाया था । हम विद्धान् अभिभाषक अपीलान्ट के इस तर्क से सहमत नहीं है । वादग्रस्त आराजी के बाबत् अपीलान्ट वादीगण का दावा सन् 1988 में खारिज किया जा चुका है । विक्रय पत्र यदि गंगाराम के पक्ष में है तो इस विक्रय पत्र के आधार पर अपीलान्टगण का इस आराजी के बाबत् प्रथमदृष्टया प्रकरण नहीं बनता है । वादग्रस्त आराजी सन् 1988 से गंगाराम के तन्हा खाते में दर्ज है और उनके पुत्र रामदेवा द्वारा किये गये विक्रय के आधार पर रेस्पोडेन्टगण के खाते में दर्ज है । इस प्रकार सुविधा का संतुलन अपीलान्टगण के पक्ष में तय नहीं पाया जाता है और न ही अपूर्णीय क्षति अपीलान्टगण के पक्ष में सिद्ध पायी जाती है । रेस्पोडेन्ट वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक हैं जिनके खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करना हम उचित नहीं समझते हैं । अपीलान्ट ने अपने कब्जे के समर्थन में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं की है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधि सम्मत रूप से प्रार्थीगण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं ।

15. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 03.07.2018 बहाल रखा जाता है ।

16. निर्णय आज दिनांक 18.09.2019 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

18/9/19

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा